1	2	3	4	5	6
9.	Bakrol	23.86	4290	1/95	The State Govt, is required to sort out various techno-economic issues with the Central Water Commission.

देश में नहरों की सिंचाई क्षमता

5772. **श्री नरेश यादव:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विद्यमान नहरों की राज्यवार सिंचाई क्षमता कितनी-कितनी है;

(ख) पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान नहरों की सिंचाई क्षमता की योजना वार तथा राज्यवार वृद्धि दर कितनी-कितनी रही है; और

(ग) विभिन्न प्रणालियों के माध्यम से सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्या कार्य योजना बनाई जा रही है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगैय्या नायडू): (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय वृहद और मध्यम परियोजनाओं तथा लघु सिंचाई योजनाओं की सृजित सिंचाई क्षमता के बारे में वार्षिक आधार पर राज्यवार आंकड़े अलग से एकत्र करता है तथा रखता है। पांचवीं योजना (1974-78), छठीं योजना (1980-85), सातवीं योजना (1985-90) के दौरान तथा 1994-95 के अंत तक (प्रत्याशित) सृजित सिंचाई क्षमता के राज्यवार आंकड़े दर्शाने वाला विवरण संलग्न है **(नीचे देखिये)**

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंचाई को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विनिर्दिष्ट किया गया है। सिंचाई क्षमता बढ़ाने की नीति के मुख्य तत्वों में अन्य बातों के साथ-साथ ये हैं (i) चालू वृहद और मध्यम परियोजनाओं को पूरा करने को प्राथमिकता देना, (ii) वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में प्रयोक्ताओं की अधिक भागीदारी, (iii) बहुत सी चालू धरातलीय जल लघु सिंचाई योजनाओं को शीघ्र पूरा करना और (iv) धरातलीय और भूजल का संयुक्त प्रयोग।

विवरण

पांचवीं योजना (1974-76) छठीं योजना (1980-85) सातवीं योजना (1985-90) के दौरान और 1994-95 के अंत तक (प्रत्याशित) वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं तथा लघु सिंचाई योजनाओं के जरिए सृजित सिंचाई क्षमता।

(हजार हेक्टेयर)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सृजित सिंचाई क्षमता			
		5वीं योजना के दौरान (1974-78)	छठीं योजना के दौरान (1980-85)	सातवीं योजना (1985-90)	1994-95 के अंत तक (प्रत्याशित)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	443.0	661.0	545.0	6123.6
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	40.2	15.8	75.1
3.	असम	9.0	115.0	192.0	811.8

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	862.0	1504.0	1203.0	8719.9
5.	गोआ	संघ राज्य क्षेत्र में शामिल	15.3	14.9	37.4
6.	गुजरात	382.0	307.0	320.3	3303.4
7.	हरियाणा	326.0	284.0	199.0	3629.8
8.	हिमाचल प्रदेश	11.0	20.5	11.6	155.6
9.	जम्मू एवं कश्मीर	12.0	55.0	24.3	545.5
10.	कर्नाटक	306.0	312.0	350.4	3121.5
11.	केरल	68.0	157.0	116.4	1117.0
12.	मध्य प्रदेश	509.0	823.0	612.4	4888.5
13.	महाराष्ट्र	466.0	823.0	661.1	4735.7
14.	मणिपुर	2.0	46.7	26.9	123.6
15.	मेघालय	8.0	11.3	5.4	50.1
16.	मिजोरम	संघ राज्य क्षेत्र में शामिल	6.4	3.1	12.2
17.	नागालैंड	2.0	9.0	11.7	66.6
18.	उड़ीसा	307.0	522.0	216.2	2820.8
19.	पंजाब	314.0	414.0	170.7	5837.2
20.	राजस्थान	219.0	435.0	477.1	4661.7
21.	सिक्किम	7.0	5.0	6.4	24.1
22.	तमिलनाडु	110.0	128.0	148.4	3687.5
23.	त्रिपुरा	6.0	19.6	24.5	98.0
24.	उत्तर प्रदेश	3008.0	3895.0	4955.0	28609.0
25.	पश्चिमी बंगाल	395.0	325.0	981.6	4463.9
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का कुल जोड़	7779.0	10921.2	11310.3	87819.4

संघ राज्य क्षेत्र में शामिल

सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय अभिकरण का गठन

5773. **श्री अजीत जोगी:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पहले से स्वीकृत सभी अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वित्तपोषित करने वाले केंद्रीय अभिकरण गठन के कार्य को अंतिम रूप प्रदान कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस अभिकरण को कब तक गठित कर दिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगैय्या नायडू): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अन्तर्राज्यीय सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वित्त पोषण करने हेतु केन्द्रीय अभिकरण गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सिंचाई परियोजनाएं

5774. **श्री आस मोहम्मद:**
चौधरी हरमोहन सिंह:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: